

प्रेषक,

प्रहलाद सिंह-II

(I.D. No. UP6350)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कोर्ट न02, जनपद मेरठ,

सेवा में,

माननीय महानिबंधक,

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद,

द्वारा,

माननीय जिला न्यायाधीश,

मेरठ।

विषय:- शासनादेश संख्या 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 सपठित शासनादेश संख्या- 20/2024/ सा-3-276/ दस- 2024/ 301(1)/ 2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत पत्रांक 9691/IV-F-82(Pension)Admin- IV (1) दिनांकित 16-07-2024 के अनुपालन में पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुने जाने के संबंध में-

महोदय,

सादर निवेदन है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विषयांकित शासनादेश के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ है, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005/301(9)-2003 दिनांकित 28-03-2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की व्यवस्था व विकल्प प्रदान किया गया है। उपरोक्त विषयक संदर्भ में अति सम्मानपूर्वक निवेदन निम्नवत् है:-

1. यह कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा, 2003 के विज्ञापित पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या-ए-2/ई-1/2003, दिनांकित 15-11-2003 जो दिनांक 22-28 नवम्बर, 2003 के रोजगार समाचार में प्रकाशित हुआ, द्वारा आवेदन आमंत्रित किये गये।
2. यह कि उपरोक्त विज्ञापन के आधार पर उक्त पद पर अंतिम चयन होने के उपरांत प्रार्थी की उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियुक्ति, उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग-4 की विज्ञापित/नियुक्ति आदेश संख्या-2430/दो-4-06-32(1) -2001 टीसी-1 लखनऊ: दिनांक 26-05-2006 के माध्यम से हुई है।
3. यह कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अधिसूचना संख्या-1096 दिनांकित 13-06-2006 के अनुपालन में प्रार्थी ने दिनांक 16-06-2006 को जनपद न्यायालय औरैया में न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यभार ग्रहण किया।

4. यह कि उत्तर प्रदेश शासन के विषयांकित शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुक्रम में प्रार्थी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने योग्य एवं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने का पात्र है।

5. यह कि प्रार्थी द्वारा शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के साथ संलग्न प्रारूप के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुना गया है तथा विहित प्रारूप पर पुरानी पेंशन योजना चुने जाने का विकल्प एवं घोषणा पत्र विभागाध्यक्ष की सहमति/संस्तुति के साथ पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र के साथ पत्रांक 2613/I दिनांक 12.08.2024 को प्रेषित किया जा चुका है। लेकिन उक्त विकल्प पत्र में मेरी जन्म तिथि दिनांक "15.06.1973" के स्थान पर दिनांक 15.11.1973 टाइप हो गयी है। इसलिए संशोधित विकल्प पत्र प्रेषित किया जा रहा है।

अतः विनम्र अनुरोध है कि प्रार्थी को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किये जाने हेतु प्रेषित संशोधित विकल्प एवं घोषणा पत्र सहानुभूतिपूर्वक विचारणार्थ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करे।

विशेष आभार के साथ।

दिनांक- 03/10/2024.

भवदीय


(प्रहलोद सिंह-II)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट न02, जनपद मेरठ,
I.D. No. UP6350

संलग्नक:- शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/
दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के
साथ संलग्न प्रारूप पर पुरानी पेंशन 2024 के साथ
संलग्न प्रारूप पर पुरानी पेंशन योजना चुने जाने का
विकल्प व घोषणा पत्र।


कार्यालय जिला न्यायाधीश, मेरठ ।

पत्रांक संख्या- 3122/Z

दिनांक- 03-10-2024

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद,
को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित।


जिला न्यायाधीश,
मेरठ।

03.10.2024

**जिला न्यायाधीश
मेरठ**

शासनादेश संख्या-20 / 2024 सा-3-276 / दस-2024 / 301(1) / 2024

दिनांक 11 जुलाई, 2024

विकल्प पत्र

(संशोधित)

- 1- नाम- प्रहलाद सिंह-II (PRAHALAD SINGH-II)
I.D. No. UP6350
- 2- वर्तमान पद नाम - अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट न02, जनपद मेरठ,
- 3- वेतनमान - J-5 (144840-194660) रूपये,
बेसिक वेतनमान-178150 / - (माह जौलाई 2024)
- 4- वर्तमान विभाग का नाम - मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद (न्याय विभाग)
- 5- राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम - लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
(प्रयागराज)
- 6- विज्ञप्ति की तिथि - 15 नवम्बर, 2003
(विज्ञापन संख्या-ए-2/ई-1/2003)
- 7- विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि - 26 मई 2006
(उ0प्र0 शासन नियुक्ति अनुभाग-4)
विज्ञप्ति सं0-2430/दो-04-06-32(1) 2001 टी0सी0-1
- 8- योगदान की तिथि - 16-06-2006
(Notification No.1129 /DR(S) 2006 dated 13-06-2006)
- 9- जन्म तिथि - 15-06-1973
- 10-सेवा निवृत्ति की तिथि - 30-06-2033

मैं, प्रहलाद सिंह-II पुत्र श्री रामकुमार सिंह शासनादेश संख्या-14 / 2024 / सा-3-243 / दस-2024 / 301(1) / 2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓) नवीन पेंशन योजना (X) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर-

नाम- प्रहलाद सिंह-II (I.D. No. UP6350)

पदनाम-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट न02,
जनपद मेरठ

घोषणा-पत्र

मैं प्रहलाद सिंह-II अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट न02, जनपद मेरठ, यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम सं. 01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर-

नाम- प्रहलाद सिंह-II (I.D. No. UP6350)

पदनाम-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट न02,
जनपद मेरठ।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री प्रहलाद सिंह-II, पदनाम-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट न02, जनपद मेरठ, को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓) / नई पेंशन योजना (X) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

जिला न्यायाधीश
मेरठ

3.10.2024